

आयलय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 24.2.2020

मि.न.172/2019

सरकार बनाम गोपी
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मेंसे 0.005 है0पर गोपी पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली ने पानी की टंकी एवे खेली बना कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । नाही काई जबाब दस्तावेजात पेश किये गये ।

अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैरसायल गोपी पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.005 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बनाई गई पानी की टंकी व खेली को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.15 रु. का पचास गुणा 8रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सुनाया गया
कोटपूतली तहसील